फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

5141 तोफाराम बनाम रामेश्वर

केस संख्या : 74/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.09.25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। कुर्रेआत रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वास्ते बहस दिनांक 29/9/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	29.9.25	पत्रावली आज दिनांक 29/9/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/10/25 को पेश हो।	
	07.10.25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस कुर्रेआत सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं है अतः वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेआत के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 74/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.05.2025

तौफान पुत्र मालीराम, जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।

...... वादी

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र सूजाराम
2. रामचन्दर पुत्र रामदेव
3. बिरदीचन्द पुत्र सूजाराम
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।
4. प्रबन्धक महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू जिला जयपुर (राज.)।
5. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
6. श्रीमान पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय जालसू जिला जयपुर (राज.)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील जालस जिला जयपुर (राज.)।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 07.10.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादी वाके ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर का रहने वाला हैं, जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 3 की शामिलाती खातेदारी भूमि वाके ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित हैं, जिस पर वादी शामिलाती में काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं। वाके ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गा का बास भू.अ.नि.. जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 110 जिसके आराजी खसरा नम्बर 676 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.5600 हैक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि ही इस वाद पत्र में विवादित हैं, जिसे इस वाद पत्र के आगामी ... "भूमि विवादग्रस्त" के नाम से सम्बोधित किया गया है। भूमि विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 110 में वादी का हिस्सा 1/4 भाग निहित हैं शेष हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का दर्ज व इन्द्राज चला आ रहा हैं। इस प्रकार उक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मनबट बंटवारे अनुसार अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर शामिलाती में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, भूमि विवादग्रस्त का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं भूमि विवादग्रस्त मौके पर शामिलाती ही हैं, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य मनबट के आधार पर ही शामिलाती रूप से काश्त करते आ रहे हैं, ओर लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार शामलाती में सरकार में जमा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

कराते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त मौके पर शामिलाती हैं तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 शामिलाती रूप से ही भूमि विवादग्रस्त पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं, तथा उक्त भूमि शामिलाती पर कानूनन विवादग्रस्त के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक निहित हैं। वर्तमान में जमीनो की कीमते आसमान छू जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मन में बदनियती आ गई हैं तथा वह ऐन–केन प्रकारेण वादी की शामिलाती खातेदारी भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ठ भू–भाग एवं रास्ते की भूमि को अवरूद्ध करने की गरज से जबरन लाठी के बल पर नींव खोदकर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने की कृचेष्ठा करते हुये दीगरान को कब्जा करवाकर बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं। इन्ही कृत्सचित्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु दिनांक 19–05–2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने साथ कारीगर मजदूरो को लेकर आये एवं मौक्रे पर रास्ते की भूमि को अवरूद्ध करते हुये उस पर जबरन खोदकर पुख्ता डण्डा बनाने की बाते करने लगे जब कब्जा कर नींव खोदकर पुख्ता डण्डा बनाने की बात करने लगे जब सूचना मिलने पर वादी ने मौके पर आकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को ऐसा करने से मना किया एवं समझाने का प्रयास किया कि उक्त भूमि अभी तक शामिलाती भूमि हैं जब तक उक्त भूमि का विधिवत तकासमा नही हो जाता हैं तब तक आप किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य नही करें जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उग्र हो गये एवं ऐलानिया धमकी देने लगे कि हम तो जबरन लाठी के बल पर उक्त शामिलाती भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर अवैध रूप से डण्डे का निर्माण कर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करेंगे तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते तथा वादी के साथ लडाई झगडा कर मारपीट करने पर उतारू हो गये इस कारण वादी को उक्त वाद पत्र पैश करना लाजमी आया हैं। खसरा नम्बर 682 जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हैं उसके पास के खसरा नम्बर 683 जो कि चारागाह भूमि हैं, खसरा नम्बर 682 व 683 की सीमा से होकर मनबट के आधार पर कायम किये गये रास्ते को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने जबरन लाठी के बल पर बन्द करने की कुचेष्ठा में हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने चारागाह भूमि पर भी निर्माण करके कब्जा कर रखा हैं, एवं कब्जे के आधार पर भूमि का विक्रय भू–माफियाओं से मिलकर करने की कुचेष्ठा में हैं, इस कारण उक्त वाद पत्र पैश करना लाजमी आया हैं। वादी को [illegible] अधिकार हांसिल हैं कि वह न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करके भूमि विवादग्रस्त में रास्ते को प्राथमिकता देते हुये कमाने काश्त का [illegible] करवाये तथा अपने हिस्से की भूमि के खाते का पृथक से पर्चा लगान कायम करवाये एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि वे बिना विधिवत तकासमा हुये बिना विशिष्ठ भू–भाग पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य नही करें, ना ही नींव खोदकर किसी प्रकार के कोई डण्डे आदि ही बनावें, ना ही वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारीत करें, ना ही बिना विधिवत तकासमा हुये बिना किसी भी प्रकार का कोई बैचान व हस्तान्तरण आदि करें, ना ही सींवडोल को तोड–फोड करें, ना ही जबरन भूमि

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

विवादग्रस्त में बिना तकासमा हुये भू–माफिआयों से मिलिभगत कर विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करें, ना ही खसरा नम्बर 682, 683 के उत्तर से दक्षिण में स्थित रास्ते को बन्द नहीं करें, ना ही वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेख पत्र को पंजीबद्ध करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये। न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त का उपरोक्तनुसार प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के हक हिस्से की शामिलाती भूमि से वादी को जबरिया बेदखल कर विशिष्ठ भू–भाग पर अवैध रूप से नींव खोदकर डण्डे का निर्माण कर कब्जा कर लेंगे। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा एवं इससे वाद बहूल्यता भी बढ़ेगी। वाद कारण दिनांक 19–05–2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर आकर विशिष्ठ भू–भाग कर भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डलवाकर कारीगर मजदूर लगाकर मौके पर अवैध रूप से रास्ते को अवैध रूप से बन्द करते हुये विशिष्ठ भू–भाग पर अवैध डण्डे का निर्माण कार्य करने एवं वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ लडाई झगडा कर वादी को जबरिया लाठी के बल पर बेदखल किये जाने से वाद कारण उदित होकर आज दिवस तक निरन्तर जारी हैं। विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय श्रीमान् को यह वाद सुनकर इसका निस्तारण फरमाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गा का बास भू.अ.नि.. जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 110 जिसके आराजी खसरा नम्बर 676 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.5600 हैक्टर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.3000 हैक्टर [illegible] का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में [illegible] हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4140 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने कोई आपत्ति नहीं की। तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

तौफान पुत्र मालीराम जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 682/2 रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. बिरदीचंद पुत्र सूजाराम हि. 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार, रामचंद्र पुत्र रामदेव हि. 2/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, रामेश्वर पुत्र सूजाराम हि. 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 676/2 रकबा 0.1175 हैक्टेयर, 677/2 रकबा 0.5665 हैक्टेयर, 682/3 रकबा 0.2385 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9225 हैक्टेयर भूमि रहेगीं।

3. तौफान पुत्र मालीराम हि. 1/4 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/4 राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू, बिरदीचंद पुत्र सूजाराम हि. 1/8 जाति अहीर सा. देह खातेदार, रामचंद्र पुत्र रामदेव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, रामेश्वर पुत्र सूजाराम हि. 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 676/1 रकबा 0.0125 हैक्टेयर, 677/1 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, 682/1 रकबा 0.0140 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 74/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.05.2025

तौफान पुत्र मालीराम, जाति अहीर निवासी ग्राम खुपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।

...... वादी

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र सूजाराम
2. रामचन्दर पुत्र रामदेव
3. बिरदीचन्द पुत्र सूजाराम
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर (राज.)।
4. प्रबन्धक महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू जिला जयपुर (राज.)।
5. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
6. श्रीमान पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय जालसू जिला जयपुर (राज.)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील जालस जिला जयपुर (राज.)।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. तौफान पुत्र मालीराम जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 682/2 रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. बिरदीचंद पुत्र सूजाराम हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार, रामचंद्र पुत्र रामदेव हि. 2/3 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, रामेश्वर पुत्र सूजाराम हि. 1/6 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 676/2 रकबा 0.1175 हैक्टेयर, 677/2 रकबा 0.5665 हैक्टेयर, 682/3 रकबा 0.2385 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9225 हैक्टेयर भूमि रहेगीं।
3. तौफान पुत्र मालीराम हि. 1/4 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/4 राहिन (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जालसू, बिरदीचंद पुत्र सूजाराम हि. 1/8 जाति अहीर सा. देह खातेदार, रामचंद्र पुत्र रामदेव हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं, रामेश्वर पुत्र सूजाराम हि. 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 676/1 रकबा 0.0125 हैक्टेयर, 677/1 रकबा 0.0440 हैक्टेयर, 682/1 रकबा 0.0140 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 07.10.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मनामा	4 रूपये		बवत् इजराय हुक्मनामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 74/2025 उनवान तौफान बनाम रामेश्वर व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 7 $\frac{7}{25}$ की पालना में ग्राम रवपरिया आराजी खसरा न. 676, 677, 682 कुल किता 03 रकबा 1.30 है. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 6/8/25 की पालना में आज दिनांक 18 $\frac{8}{25}$ को बहमराह उपतहसीलदार जालसू भू.अ.नि. मु. जयसिंहपुरा ह. दुर्गा का बास के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की जाती है।

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1	① तौफान पुत्र मालीराम हि० $\frac{1}{4}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार शामिल हि० $\frac{1}{4}$ (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा 20484 ② बिरदीचन्द पुत्र सुजाराम हि० $\frac{1}{6}$ जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार ③ रामचन्द्र पुत्र रामदेव हि० $\frac{1}{2}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार शामिल हि० (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू ④ रामेश्वर पुत्र सुजाराम हि० $\frac{1}{6}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार	676 677 682	0.13 0.61 0.56	बारानी 2 चाही 2 चाही 2	28.54
	कुल खसरा	03	1.30		28.54

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	तौफान पुत्र मालीराम जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार शामिल (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा 19154	$\frac{682}{2}$	0.3075	चाही 2	
		01	0.3075		
2.	① बिरदीचन्द पुत्र सुजाराम हि. $\frac{1}{6}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार ② रामचन्द्र पुत्र रामदेव हि० $\frac{2}{3}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार शामिल हि. $\frac{1}{2}$ (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू ③ रामेश्वर पुत्र सुजाराम हि. $\frac{1}{6}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार	$\frac{676}{2}$ $\frac{677}{2}$ $\frac{682}{3}$	0.1175 0.5665 0.2385	बारानी 2 चाही 2 चाही 2	
		03	0.9225		
3.	① तौफान पुत्र मालीराम हि. $\frac{1}{4}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार शामिल हि० $\frac{1}{4}$ (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालसू ② बिरदीचन्द पुत्र सुजाराम हि० $\frac{1}{8}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार	$\frac{676}{1}$ $\frac{677}{1}$	0.0125 0.0440	बारानी 2 चाही 2	

तौफान

18/8/2025

पट० दुर्गा का बास 18/8/25

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद संख्या 74/2025 तोफान बनाम रामेश्वर व अन्य

...बंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
...र्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
						③ रामचन्द्र पुत्र रामदेव हि० $\frac{1}{2}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन हि० $\frac{1}{2}$ (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू ④ रामेश्वर पुत्र सुजाराम हि. $\frac{1}{8}$ जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार	$\frac{682}{1}$	0.0140	चाही 2	
							03	0.0700		

18/08/2025

18/8/25

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस आंशिक नक्शा   वाद सं० 74/2025

ग्राम – रूपपरिया
तह० – जालसू
जिला – जयपुर
पैमाना – 1 सेमी = 20 मी.

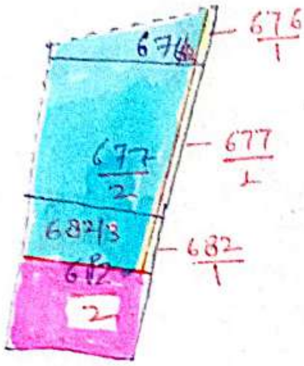

तोफान पुत्र मालीराम   तोफान

बिरदीचन्द, रामचन्द, रामेश्वर

शामिलाती रास्ता

पटवारी हल्का
1/8/25

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:37 IST
Reason: SelfAttested